भारत सरकार

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय

भारी उद्योग विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1935

जिसका उत्तर मंगलवार 14 मार्च, 2017 को दिया जाना है

एचईसी द्वारा उपदान और बकाया की गैर-अदायगी

1935. श्री राम टहल चौधरी:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची के सेवानिवृत्त कर्मचारियों द्वारा उपदान और संशोधित बकाया की गैर-अदायगी के संबंध में बहुत सारी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान प्राप्त शिकायतों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त सेवानिवृत्त कर्मचारियों को दिए जाने वाले वर्तमान उपदान और संशोधित बकाया का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा उपरोक्त बकाया राशि देने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री

(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क): भारी उद्योग विभाग को हेवी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन(एचईसी), रांची द्वारा अपने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उपदान और वेतन संशोधन बकाया का भुगतान न किए जाने की शिकायतें मिल रही हैं। इन शिकायतों को उपयुक्त कार्रवाई तथा शिकायतों के निराकरण हेतु कंपनी को अग्रेषित कर दिया गया है।

(ख): एचईसी द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, पिछले दो वर्षों के दौरान विभाग के माध्यम से उन्हें ऐसी 20 शिकायतें मिली हैं।

(ग): एचईसी ने सूचित किया है कि 31 मार्च, 2014 तक पृथक किए गए कर्मचारियों को उपदान का भुगतान, विशिष्ट तकनीकी कारणों से कुछेक मामलों को छोड़कर, पहले ही किया जा चुका है। सेवानिवृत्त कर्मचारियों को देय उपदान के कारण बकाया देयताएं ₹50.28 करोड़ हैं। कंपनी द्वारा सामना किए जा रहे वित्तीय संकट के कारण इन देयताओं का भुगतान नहीं किया गया है। तथापि, बेटी की शादी, अपने और पत्नी/पति का चिकित्सीय उपचार, बच्चों की उच्च शिक्षा तथा बैंक के बकाया ऋणों के भुगतान के मामले में, निधियों की उपलब्धता के अनुसार, पूर्व-कर्मचारियों को आंशिक भुगतान किया जा रहा है। वेतन संशोधन, 1992 और 2007 के कारण बकाया के भुगतान के संबंध में, क्रमश: ₹3.71 करोड़ और ₹24.70 करोड़(लगभग) की कुल राशि बकाया है।

(घ) एचईसी कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत कंपनी है और इसकी विधि के तहत एक पृथक विधिक पहचान है। कंपनी मुख्यत: अपने कार्यों का स्वतंत्र रूप से प्रबंधन करने के लिए उत्तरदायी है जिसमें अपने कर्मचारियों से संबंधित खर्चों को पूरा करना शामिल है। भारत सरकार ने, इस कंपनी की प्रवर्तक होने के कारण, उपदान के समय पर भुगतान न किए जाने के कारण कंपनी के सेवानिवृत्त कर्मचारियों द्वारा सामना की जा रही कठिनाइयों को कम करने के लिए विगत में समय-समय पर कंपनी को ऋण के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की है। वर्ष 2014-15 में, अपने कर्मचारियों की बकाया सांविधिक देयताओं जैसे उपदान आदि के निपटारे के लिए कंपनी को ₹47.89 करोड़ का ऋण प्रदान किया गया था।

*****